ई-मेल

वर्ष 2012–13 का आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉक:–जीओ–03 /सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)12–13 दिनांक 26 अप्रैल–2012

विषय: वित्तीय वर्ष 2012–13 में इंदिरा आवास योजनान्र्तगत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–426/38–4–12–29–बजट/2012, दिनांक 19.04.2012 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–13 के अधीन इंदिरा आवास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि में से योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 49,82,75000 (रूपये उन्चास करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात् आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– नवसृजित जनपद छत्रपति शाहू जी महराजनगर, प्रबुद्धनगर, पंचशीलनगर, भीमनगर को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन जनपदों की धनराशि इनके पैतृक जनपदों को आवंटित की जा रही है। उक्त सम्बन्धित जनपद आनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

4– आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों एवं संलग्न शासनादेश दिनांक 19.04.2012 में दिये गये निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

6– आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–"2505–ग्राम स्वरोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्धि–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05–इन्दिरा आवास योजना–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-192 पर कर ली गयी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः–जीओ–03 / सम्प्रेक्षा / आई0ए0वाई(सामान्य) 2012–13 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5– समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी / जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 / राज्य योजना आयोग–2 नियोजन अनुभाग–4
8– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
9– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–4 को उनके पत्रांक–संख्या–426 / 38–4–12–29–बजट / 2012 दिनांक 19–4–2012 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

पत्र संख्या–जीओ– 03/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई0 (सा0)/2012–13, दिनांक 26 अप्रैल 2012 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	0.00	0.00
3	BULANDSHAHAR	51.36	51.36
4	G.B. NAGAR*	3.74	3.74
5	BAGPAT	0.66	0.66
6	SAHARANPUR	72.23	72.23
7	MUZAFARNAGAR	37.41	37.41
8	MORADABAD	78.34	78.34
9	BIJNOR	77.59	77.59
10	RAMPUR	45.39	45.39
11	J.B.F. NAGAR	23.20	23.20
12	BAREILLY	59.22	59.22
13	BADAUN	85.33	85.33
14	SHAHJAHANPUR	91.13	91.13
15	PILIBHIT	77.22	77.22
16	AGRA	50.08	50.08
17	MAINPURI*	34.30	34.30
18	MATHURA	26.17	26.17
19	FIROZABAD	0.00	0.00
20	ALIGARH	0.00	0.00
21	ETAH	30.97	30.97
22	KANSHIRAM NAGAR	23.92	23.92
23	HATHRAS	0.00	0.00
24	JHANSI	19.37	19.37
25	JALAUN	21.91	21.91
26	LALITPUR	16.01	16.01
27	BANDA	19.27	19.27
28	HAMIRPUR	12.90	12.90
29	MAHOBA	9.77	9.77
30	CHITRAKUT	11.77	11.77
31	ALLAHABAD	75.75	75.75
32	FATEHPUR	67.03	67.03
33	PRATAPGARH	73.90	73.90
34	KAUSHAMBHI	41.05	41.05
35	KANPUR NAGAR	53.00	53.00
36	KANPUR DEHAT	51.67	51.67
37	ETAWAH	36.33	36.33
38	FARRUKHABAD	43.04	43.04

पत्र संख्या–जीओ– 03/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई0 (सा0)/2012–13, दिनांक 26 अप्रैल 2012 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
39	KANNAUJ	31.99	31.99
40	ORRAIYA	35.77	35.77
41	VARANASI	41.39	41.39
42	GHAZIPUR	74.69	74.69
43	JAUNPUR	144.34	144.34
44	CHANDAULI	34.82	34.82
45	MIRZAPUR	48.22	48.22
46	SONBHADRA	35.99	35.99
47	S. R. NAGAR	29.35	29.35
48	LUCKNOW	56.62	56.62
49	SITAPUR	185.47	185.47
50	UNNAO	102.74	102.74
51	HARDOI	108.51	108.51
52	KHERI	308.61	308.61
53	RAE BARELI	94.03	94.03
54	GORAKHPUR	143.23	143.23
55	DEORIA	156.01	156.01
56	KUSHINAGAR	492.63	492.63
57	MAHRAJGANJ	129.66	129.66
58	BASTI	85.25	85.25
59	SIDHARTHNAGAR	53.91	53.91
60	S.K.NAGAR	52.06	52.06
61	AZAMGARH	109.88	109.88
62	MAU	41.71	41.71
63	BALLIA	162.67	162.67
64	FAIZABAD	56.22	56.22
65	BARABANKI	139.33	139.33
66	SULTANPUR	82.94	82.94
67	AMBEDKARNAGAR	47.30	47.30
68	GONDA	159.60	159.60
69	BAHRAICH	177.67	177.67
70	BALRAMPUR	77.06	77.06
71	SHRAWASTI	62.05	62.05
	STATE TOTAL	4982.75	4982.75

(रू0 उन्चास करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

संख्या– 426/38–4–12–29 बजट/2011

प्रेषक,

रूद प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 19 अप्रैल,2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्वन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–04/सम्प्रेक्षा/इं0 आ0 यो0/ 2012–13, दिनांक–04 अप्रैल,2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–13 में प्राविधानित धनराशि मे से रू0–4982.75 लाख (रूपये उन्चास करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में नहीं रखा जायेगा।

5– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/–

अपर आयुक्त (लेखा)
23.04.12
(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

2— तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—13 के अधीन लेखाशीर्षक—"2505—ग्राम स्वरोजगार—01—राष्ट्रीय कार्यक्रम—702—जवाहर ग्राम समृद्धि—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए— 05— इन्दिरा आवास योजना—27—सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3— इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—बी—1—547/दस—2012—231/2012, दिनांकः— 20 मार्च, 2012 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रूद प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या—426 (1)/38—4—12 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. संवंधित जनपद के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—2
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग—2/नियोजन अनुभाग—4
10. ग्राम्य विकास अनुभाग—3/7
11. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी

आई०क्रे० 03/(सम्प्रेक्षा)
25/5/2012

संख्या– 426/38–4–12–29 बजट/2011

प्रेषक,

रूद प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4. लखनऊः दिनांक 19 अप्रैल,2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्वन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–04/सम्प्रेक्षा/इं0 आ0 यो0/ 2012–13, दिनांक–04 अप्रैल,2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–13 में प्राविधानित धनराशि मे से रू0–4982.75 लाख (रूपये उन्चास करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकर्ता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में नहीं रखा जायेगा।

5– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/–

2– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–"2505–ग्राम स्वरोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्धि–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए– 05– इन्दिरा आवास योजना–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3– इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–बी–1–547/दस–2012–231/2012, दिनांकः– 20 मार्च, 2012 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–426 (1)/38–4–12 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. संबंधित जनपद के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त(व्यय ,नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
10. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7
11. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी